न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 572–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–2–2013 पारित द्वारा आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल प्रकरण कमांक 91/अपील/2012–13

अशोक कुमार सोनी पिता हनुमान प्रसाद सोनी
निवासी जिला जेल अनूपपुर के सामने अमरकंटक
रोड ग्राम सकरिया पोस्ट आफिस दुलहरा तहसील
व थाना अनूपपुर जिला अनूपपुर म0प्र0

– – – – – आवेदक

विरूद्ध

1. रामरूप पाण्डे पिता रामलाल पाण्डेय
2. रामेश पाण्डे पिता रामलाल पाण्डे
3. प्रेमनारायण पाण्डेय पिता कुंज बिहारी
4. रामनाराण पाण्डेय पिता कुंज बिहारी
5. सुगंधी बाई पति कुंज बिहारी
   निवासीगण बार्ड नम्बर 13 अनूपपुर
6. सुदामाराम पाण्डेय पिता भगवराम पाण्डेय
7. अजय पाण्डेय पिता सुदर्शन राम पाण्डेय
8. दीपक पाण्डेय पिता सुदर्शन राम पाण्डेय
9. प्रमिला पाण्डेय पिता सुदर्शन राम पाण्डेय
   कमांक 6 लगायत 9 निवासी बार्ड न0 14
   अनूपपुर सभी पोस्ट व तहसील व जिला
   अनूपपुर म0प्र0
10. अर्चना पाण्डेय पति राज कुमार त्रिपाठी
    पिता सुदर्शनराम पाण्डेय
    निवासी बार्ड न0 11 उजीर तालब के पास
    अनूपपुर सभी पोस्ट व तहसील व जिला
    अनूपपुर म0प्र0
11. अंजना पाण्डेय पति रामअनुग्रह तिवारी
    पिता सुदर्शनराम पाण्डेय पता पिपलानी
    नेहरू नगर भोपाल पोस्ट नेहरूनगर भोपाल

12. नरेश पाण्डेय पिता हरभजन पाण्डेय
13. राजेश पाण्डेय पिता हरभजन पाण्डेय
14. अरविंद पाण्डेय पिता हरभजन पाण्डेय
15. अजवेन्द्र पाण्डेय पिता हरभजन षाण्डेय
16. जयराम पाण्डेय पिता रामगोपाल पाण्डेय
17. बिमला बेवा हरभजन पाण्डेय
    क0 12 लगायत 17 निवासी ग्राम परसवार पोस्ट व
    तहसील व जिला अनूपपुर म0प्र0
18. उमाशंकर पाण्डेय पिता रामलाल पाण्डेय
    निवासी बार्ड नम्बर 13 पुरानी बस्ती अनूपपुर
    तहसील व जिला अनूपपुर म0प्र0
19. सुबन बेवा मोहन
20. सतेन्द्र पिता मोहन
21. संतोष पिता मोहन
    पता ग्राम चांदपुर तहसील जैतहरी
    जिला अनूपपुर म0प्र0

– – – – –अनावेदकगण

– – – –

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

– – – –

::आदेश पारित::

(दिनांक 11सितम्बर 2015)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के आदेश दिनांक 15–2–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि विवादित आराजियात का आपसी सहमति के आधार पर नामांतरण क्रमांक 13 दिनांक 21–7–2005 के जरिये पारिवारिक विभाजन परिवार के सभी सदस्यों की उपस्थिति में हुआ था और सभी की सहमति व रजामंदी से नामांतरण किया गया था। अनावेदक उमांशकर पाण्डेय के द्वारा नामांतरण पंजी के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत

की। अपील अस्वीकार होने पर आयुक्त के समक्ष अपील पेश की जिसमें आवेदक द्वारा आदेश 1 नियम 10 का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसपर दिनांक 07–6–2012 को आवेदक को पक्षकार के रूप में संयोजित करने का आदेश पारित किया गया। किन्तु अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों में आवेदक को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया इस कारण आवेदक अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका और आवेदक की गैर जानकारी में दिनांक 15–2–2013 को आदेश पारित किया गया जिसमें अपील स्वीकार कर ली गई, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पत्रिकाओं की सत्यापित प्रतियों का अवलोकन किया। आयुक्त की आदेश पत्रिका दिनांक 7–6–12 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक की ओर से उनके अभिभाषक ने दिनांक 7–6–12 को पक्षकार बनाने बावत आवेदन प्रस्तुत करने का लेख है जो स्वीकार किया जाकर आवेदक को पक्षकार बनाने एवं संशोधन दर्ज करने का लेख है। परन्तु उक्त दिनांक की आदेश पत्रिका पर आयुक्त के हस्ताक्षर नहीं हैं। मात्र पदमुद्रा अंकित है। अतः उक्त आदेश को वैध मान्य नहीं किया जा सकता। अन्तिम आदेश 15–2–2013 के पूर्व लगभग सात माह तक न्यायालय की किसी कार्यवाही में यह तथ्य आवेदक अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं लाया। इस बावत कोई आपत्ति भी अधीनस्थ न्यायालय से नहीं की। तथाकथित आदेश दिनांक 7–6–12 के पश्चात की न्यायालयीन कार्यवाही में वह उपस्थित क्यों नहीं रहे इसका समाधानकारक कारण भी नहीं बताया। जहां तक आवेदक की अनुपस्थिति में आदेश पारित होने के तर्क का प्रश्न है यह मान्य नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति पक्षकार बनाये जाने का आवेदन न्यायालय में पेश करता है और वह आवेदन उनके उपस्थिति में स्वीकार होने के पश्चात वह स्वतः लगभग 7 माह तक प्रकरण में उपस्थित न हो । यदि ऐसा है तो उसके लिए पक्षकार स्वयं दोषी है । यह

निगरानी आयुक्त के आदेश दिनांक 15–2–2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में लगभग दो वर्ष के विलम्ब से दिनांक 17–3–15 को प्रस्तुत की गई है। आदेश की जानकारी कब तथा किस प्रकार हुई आवेदक यह स्पष्ट नहीं कर सके तथा विलम्ब के संबंध में कोई समाधानकारक कारण भी नहीं दर्शाये हैं। उक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी समयबाधित होने से निरस्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर